२९० (1)

[न्यायालय] श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर

[राजस्व] पुनरीक्षण प्रकरण क्रमाक /2018

निगरानी-2565/2018/टीकमगढ़/भू.रा

परमलाल पुत्र चिनगुट अहिरवार आयु वर्ष निवासी मामोन तहसील व जिला टीकमगढ़ मप्र

पुनरीक्षण कर्ता

बनाम

शासन मप्र

अनावेदक

द्वितीय राजस्व पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 विरुद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमाक 4/निग रामी /2016-17 पारित आदेश दिनाक 31/10/2017 जिसके अनुसार तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमाक 308/बी-121/90-91 पारित आदेश दिनाक 04/11/1990 जिसके अनुसार पुनरीक्षण कर्ता की पत्नी लक्ष्मी बाई पुत्री चउदा अहिरवार निवासी मामोन तहसील व जिला टीकमगढ़ मप्र के हक में कृषि भूमि खसरा क्रमाक 286/4रकबा 0.809 हैक्टेयर स्थित ग्राम मामोन तहसील व जिला टीकमगढ़ के सम्बन्ध में दिनाक 08/06/1988 को फलदार वृक्ष लगाने की प्रदत्ति की अनुमति को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने के सम्बन्ध में उक्त पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है से व्यथित होकर द्वितीय पुनरीक्षण आवेदन प्रचलित किया जा रहा है ;-

महोदय

पुनरीक्षण कर्ता की सादर निम्न प्रार्थना है ;-

निवेदन है कि प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा **क्रमाक** 286/4रकबा 0.809 हैक्टेयर स्थित ग्राम मामोन तहसील व जिला टीकमगढ़ वर्ष 1986-87 **में शासकीय** होने से पुनरीक्षण कर्ता की पत्नी महिला लक्ष्मी बाई पुत्री चउदा अहिरवार निवासी मामोन तहसील व जिला टीकमगढ़ मप्र द्वारा दिनाक 24/04/1988 को आवेदन **प्रचलित** किया था जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा हल्का पटवारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था अन्य पट्टे पर सूचि अनुसार प्रकरण क्रमाक 26/अ/61/1987-88 प्रचलित होकर **दिनाक** 08/06/1988 के आदेश से ग्राम मामोन की मूल निवासी होने व फल दार वृक्ष लगाने हेतु उसके कब्जे में कोई भूमि नहीं होने से उसे ब बंटन की पात्रता अनुसार फलदार पेड़ लगाने की अनुमति प्रारूप क के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाकर विधिवत आदेश पारित कर पट्टा जारी कर पट्टा के अधीन कब्जा प्रदान किया गया था व अतरिक्त कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण क्रमाक 19/अ/ब /कोटी अतरिक्त कलेक्टर /91 प्रकरण में दिनाक 31/01/1992 में अभिस्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा पटवारी रोकार्ड के खसरा क्रमाक 12 में महिला लक्ष्मी बाई का नाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार महोदय द्वारा पारित किया गया था उक्त आदेश अनुसार पंजी क्रमाक 15 पर हल्का पटवारी द्वारा नाम दर्ज करने की टीप दिनाक 08 06/1988 की

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–2565/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

परमलाल विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 4/निगरानी/ 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31–10–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/03/19	